



सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फाइल. सं. NCST/DEV-1045/MH/19/2022-RO-BH

दिनांक: 02.07.2024

सेवा में,

श्री विजय नारायण भोईर,
मु. पहारे, पो. दिघाशी,
भिवंडी, जिला ठाणे,
महाराष्ट्र

विषय: महानगरपालिका भिवंडी द्वारा आवेदक को कथित रूप से झूठे प्रकरण में फँसाने एवं आवेदक द्वारा किये गये कार्य की राशि का भुगतान नहीं करने के सम्बंध में श्री विजय नारायण भोईर, मु. पहारे, पो. दिघाशी, भिवंडी, जिला ठाणे (महाराष्ट्र) से प्राप्त अभ्यावेदन।

महोदय,

निर्देशानुसार आपको सूचित किया जाता है की आयोग के माननीय सदस्य (श्री जाटोटु हुसैन) ने आपके मामले में सम्बंधित प्राधिकारियों के साथ दिनांक 09.07.2024 को अपराहन 12:20 बजे, आयोग के न्यायालय कक्ष, छठी मंजिल, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में बैठक तय की है। सम्बंधित प्राधिकारी को आयोग में उपस्थित होने के लिए अलग से सूचित कर दिया गया है।

2. अतः आपसे अनुरोध है की उक्त सुनवाई/सिटिंग की तिथि को आयोग में उपस्थित होने का कष्ट करें।

(एच. आर. मीना)

अनुसंधान अधिकारी

ई-मेल: researchofficer-esdw@ncst.nic.in